

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है की गीडा अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये भूखंडो की प्लाटिंग का क्रय विक्रय अवैध है। उल्लेखनीय है कि गीडा अधिसूचित ग्रामो के अंतर्गत बिना मानचित्र स्वीकृत के किसी भी प्रकार का भवन सम्बंधित निर्माण पूरी तरह से प्रतिबंधित है यदि कोई उपरोक्त के इतर इस प्रकार के भूखंडो का क्रय विक्रय अथवा निर्माण कार्य करता है तो उसके विरुद्ध दंडात्मक एव विधिक कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।